विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 338/2023—24 दिनांक— 06-03-2024

श्री सरोप सिंह बिष्ट — परिवादी
ग्रा0—सरतोली, पो0—बगना
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद प्रार्थी का विद्युत बिल ऑनलाइन नहीं होने से सम्बन्धित है। श्री सरोप सिंह बिष्ट ग्रा0—सरतोली, संयोजन सं0—GP 20448110724 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने अपने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विद्युत बिल ऑन लाइन चैक करने पर विभाग के बेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 911 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री दीपक राणा अवर अभियंता, वि0वि0उपखण्ड चमोली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए, एवं विभाग द्वारा अपना कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कि परिवादी की शिकायत गलत साबित हो। अतः मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करता है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल को ऑनलाइन उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य—उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य—विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य—तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 369 / 2023–24 दिनांक– 07/03/2024

श्री लक्ष्मण सिंह, S/O स्व0 खिलाफ सिंह, – परिवादी
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री लक्ष्मण सिंह S/O स्व0 खिलाफ सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318701496 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनियमित रूप से एवं खपत से अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। अतः मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश द्वारा रोक लगाता है।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 373/2023–24 दिनांक– 07/03/2024

श्री कलम सिंह रावत,
ग्रा0–गेरूड़, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कलम सिंह रावत, ग्राम व पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318901702 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर रीडिंग के विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत संयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। अतः मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 19.12.2023 एवं दिनांक 10.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 376 / 2023–24 दिनांक– 07.03-2024

श्री दरवान सिंह, S/O श्री किशन सिंह,
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री दरवान सिंह S/O श्री किशन सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318837601 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत संयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 20.12.2023 एवं दिनांक 10.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 374 / 2023–24 दिनांक– 07/03/2023

श्री बलवन्त सिंह, S/O श्री पान सिंह,
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री बलवन्त सिंह S/O श्री पान सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318701569 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है।प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत् परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। अतः मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) क्षेत्र

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) क्षेत्र

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 377/2023-24 दिनांक- 07/03/2024

श्री अनकपाल सिंह, ग्रा0-बूंगा, पो0-गेरूड़ जिला-चमोली।	-	परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, नारायणबगड़।	-	विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी	सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी	सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी	सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री अनकपाल सिंह ग्रा0-बूंगा, पो0-गेरूड़, संयोजन सं0-NB 21318701482 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनियमित रूप से विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत संयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। अतः मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) सदस्य-उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) सदस्य-विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि) सदस्य-तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 382 / 2023—24 दिनांक— 07-03-2024

श्रीमती गौरी देवी,
ग्रा0—गेरूड़, पो0—गेरूड़
जिला—चमोली। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। — विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती गौरी देवी, ग्राम व पो0—गेरूड़, संयोजन सं0—NB 21318902061 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 08.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य—उपभोक्ता	सदस्य—विधि	सदस्य—तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 378 / 2023—24 दिनांक— 07-03-2024

श्री देवेन्द्र सिंह, — परिवादी
ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री देवेन्द्र सिंह ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़, संयोजन सं0—NB 21318701573 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनुमानित विद्युत बिल दिया जा रहा है, जो उसकी खपत से अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिलयधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) सदस्य—उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) सदस्य—विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि) सदस्य—तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:— 246429

वाद संख्या 380 / 2023—24 दिनांक— 06-03-2024

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, — परिवादी
वार्ड सं0—06 गौचर,
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गैरसैंण।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, वार्ड सं0—06 गौचर, संयोजन सं0—GS12107550039 वि0वि0खण्ड गैरसैंण द्वारा दिनांक 30.01.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 941 दिनांक 13.02.2024 द्वारा परिवादी की शिकायत के की सुनवाई दिनांक 21.02.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए एवं विभाग की ओर से उपस्थित श्री तवरेज आलम उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उपखण्ड कर्णप्रयाग ने मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता का स्वीकृत भार 3 किलोवाट है एवं उपभोक्ता की विद्युत खपत उनके विद्युत भार के अनुसार अधिक नहीं है।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 3 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः बिलिंग चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 847 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 3 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य—उपभोक्ता	सदस्य—विधि	सदस्य—तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 327/2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री आचार्य अनूप भट्ट,
ग्रा0–गिवाड़ी गॉव, ग्रामसभा–परकण्डी,
ऊखीमठ, जिला–रूद्रप्रयाग। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. शिकायत संयोजन प्रेषित करने के नियम से सम्बधित है, शिकायतकर्ता श्री आचार्य अनूप भट्ट, ग्रा0–गिवाड़ी गॉव, ग्रामसभा–परकण्डी, ऊखीमठ, जिला–रूद्रप्रयाग, द्वारा दिनांक 26.09.2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के माध्यम से यह शिकायत प्रस्तुत की। शिकायतकर्ता द्वारा उनके सेवक श्री रामेश्वर पुत्र भूपाल दत्त तथा उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी के नाम पर उनकी भवन सम्पत्ति में विद्युत संयोजन दिया गया है, जो कि पूर्णतः अवैध व गैरकानूनी है। जिसका खुलासा स्वंय अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0 रूद्रप्रयाग द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत की गई अपील के निस्तारण आदेश में कर दिया गया है।
2. मंच ने पत्र का अवलोकन करने से यह पाया कि शिकायतकर्ता विद्युत उपभोक्ता नहीं है। विद्युत अधिनियम 2003 के बिन्दु 4 में विनिर्दिष्ट विद्युत उपभोक्ता वह व्यक्ति है जिसे स्वंय उपभोग के लिए विद्युत का प्रदाय किसी अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा किया जा रहा है, इस मामले में शिकायतकर्ता उपभोक्ता नही है। अतः मंच ने शिकायतकर्ता की शिकायत दर्ज न करने का निर्णय लिया लेकिन न्याय हित में विभाग से पत्रांक 885 द्वारा न्यायिक हित में श्री रामेश्वर प्रसाद को ग्रा0–गिवाड़ी गॉव, ग्रामसभा–परकण्डी, ऊखीमठ, जिला–रूद्रप्रयाग, में दिए गए संयोजन सम्बधित पत्रावलियों की मांग इस उद्देश्य से की, कि क्या विभाग द्वारा आपूर्ति संहिता 2020 द्वारा संयोजन प्रेषित करने के नियत नियमों का विधिवत पालन किया है अथवा नहीं।
3. विभाग द्वारा पत्रावलियों को समय पर न देने के उपरान्त मंच ने शिकायत को वाद सं0 327 में दर्ज करने के पश्चात् दिनांक 21.02.2024 को सुनवाई की गई, जिसमें विभाग अनुपस्थित रहें। शिकायतकर्ता ने सुनवाई के दौरान सूचना का अधिकार पत्रांक 08 दिनांक 17.04.2023 को विद्युत वितरण खण्ड ऊखीमठ द्वारा शिकायतकर्ता को दी गई पत्रावलियों को प्रस्तुत किया। अनुज्ञाप्तिधारी ने दिनांक 21.02.2024 के दौरान सुनवाई की सूचना न मिलने के कारण तथ्य/विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थतता व्यक्त की।
4. अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान श्री अजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए, एवं उपखण्ड अधिकारी ऊखीमठ उपस्थित नहीं हुए जिसका कारण उन्होने दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई में उपस्थित न होने का कारण मंच को सम्मुख अवगत किया गया था।
5. मंच ने पत्रावलियों का अवलोकन किया पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता विद्युत उपभोक्ता नहीं है और उसकी शिकायत किसी अन्य व्यक्ति को विभाग द्वारा संयोजन देने से सम्बधित है। दिनांक 17.04.2023 कीसुनवाई के दौरान मंच को शिकायतकर्ता एवं विभाग ने मौखिक रूप से यह बताया कि सम्बधित मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, और मंच को ऐसे मामलों को सुनने का श्रावणधीकार नहीं प्राप्त है।

   शिकायतकर्ता द्वारा मंच के समक्ष दिए गए बयानों से स्पष्ट है कि उक्त मामला विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। जिस कारण मंच का यह मत है कि जो मामले माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हों मंच को सुनने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। और विभाग इस मामले में विवेकाधिकार का प्रयोग कर विधि सम्भव कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/3/24	02/03/2024	02/03/2024
शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 328 / 2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री राहुल रावत – परिवादी
ग्रा0–मेड़, पो0–पलेठी
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बोल्टेज के उतार–चढ़ाव के सम्बन्ध में है। श्री राहुल रावत, ग्रा0–मेड़, पो0–पलेठी, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने दिनांक 12.12.2023 को पत्र के माध्यम से बोल्टेज में उतार–चढ़ाव की शिकायत विद्युत शिकायत निवारण मंच में दर्ज की। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु परिवाद मंच द्वारा वाद सं0– 328 में दर्ज करके विभाग का पक्ष पत्रांक 911 दिनांक 22.12.2023 द्वारा प्रस्तुत करने को कहा। विभाग ने अपन पक्ष / विवरण और कोई भी तथ्य पेश नहीं किये। दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान श्री दीपक राणा अवर अभियंता, वि0वि0उपखण्ड चमोली ने विभाग की ओर से समस्या का समाधान / पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। लेकिन दिनांक 30.01.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग अनुपस्थित रहे और अपने पक्ष में कोई भी तथ्य / विवरण पेश नहीं किये और ना ही अपना अनुपस्थित होने की सूचना मंच को दी। मंच द्वारा विभाग को तीन बार मौका एवं समय देने के बावजूद भी विभाग अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा।
3. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम 2022 की अनुसूची–I में कार्य निष्पादन के गारंटीशुधा न्यूनतम मानक, अनुसूची–II में कार्य निष्पादन के सम्पूर्ण मानक विनिर्दिष्ट हैं, जिन्हें वितरण अनुज्ञाप्तिधारी को प्राप्त करना आवश्यक है। वितरण अनुज्ञाप्तिधारी उक्त मापदंड के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करेंगे और उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वितरण अनुज्ञाप्तिधारी से उसे इन विनियमों में निर्मित उपबन्धों के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए सेवा का न्यूनतम मानक प्राप्त हों। उक्त विनियम के क्रमांक (उपविनियम) 6(1) के अनुसार यदि अनुज्ञाप्तिधारी अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट निष्पादन के गारंटीशुदा मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा। प्रभावित व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति उक्त विनियमों की अनुसूची–III में विनिर्दिष्टि की गई है। उक्त विनियम की अनुसूची–I (3.1)(1) और (2) में बोल्टेज परिवर्तन की सीमा और बोल्टेज की समस्या का निराकरण की समय सीमा विनिर्दिष्ट है।
4. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। मंच द्वारा विभाग को तीन बार मौका एवं समय देने के बावजूद भी विभाग अपना पक्ष रखने में नाकाम रहा। लेकिन अधिशासी अभियंता के पत्रांक 1582 दिनांक 02.02.2024 को पत्र द्वारा मंच को यह अवगत किया गया कि वाद संख्या 328 की समस्या का निदान हो गया है। उपभोक्ता ने दूरभाष द्वारा मंच को अवगत किया कि उनकी समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान भी विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, मंच के सदस्यों का यह मत है कि परिवादी का परिवाद स्वीकार करने योग्य है। विभाग द्वारा उपभोक्ता की समस्या का निराकरण करने में शिथिलता की गई है और UERC के विनियमों का उल्लघंन किया गया है।

क्रमशः..... 02

दिनांक– 06-03-2024

वाद संख्या 329/2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को उपभोक्ता की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या का निदान अनुसूची–I (3.1)(2) कम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली का सुधार 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चिम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	[illegible]न्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

वाद संख्या 330 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 06-03-2024

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को उपभोक्ता की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या का निदान अनुसूची–I (3.1)(2) क्रम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली का सुधार 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चिम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 332/2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री गंगा सिंह – परिवादी
ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गंगा सिंह, ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना, संयोजन सं0–GP 20448005495 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा प्रार्थी को उसकी विद्युत आपूर्ति से अधिक बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निबारण हेतु मंच ने पत्रांक 911 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री दीपक राणा अवर अभियंता, वि0वि0उपखण्ड चमोली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः बिलिंग चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 49 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर /प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 334 / 2023—24 | दिनांक— 06-03-2024

श्री पंचम सिंह राणा — परिवादी
ग्रा0—सरतोली, पो0—बगना
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद ऑनलाइन बिल जमा करने के सम्बन्ध में है। श्री पंचम सिंह राणा, ग्रा0—सरतोली, पो0—बगना, संयोजन सं0—GP 20448114221 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी द्वारा एक वर्ष पूर्व गूगल पे ऐप के माध्यम से विद्युत बिल जमा किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जमा की गई राशि विभाग के एकाउण्ट में जमा नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। उपभोक्ता ने ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किये हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि उपभोक्ता द्वारा गूगल पे ऐप से विद्युत बिल जमा किया गया है, मंच द्वारा उपभोक्ता को दूरभाष से सम्पर्क करने पर, उपभोक्ता का मोबाइल बन्द होने के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया, एवं शिकायत तथ्यहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथ्यहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। और उपभोक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अपने पूर्ण प्रमाण सहित लिखित शिकायत विभाग को प्रेषित करे। एवं शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में मय प्रमाण के साथ मंच में लिखित शिकायत दर्ज करे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 335 / 2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री आलम सिंह — परिवादी
ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री आलम सिंह, ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना, संयोजन सं0–GP 20448123399 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने अपने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विद्युत बिल उसकी विद्युत आपूर्ति से अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 911 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री दीपक राणा अवर अभियंता, वि0वि0उपखण्ड चमोली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 52 kwhयूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन / सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

वाद संख्या 336/2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 06-03-2024

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को उपभोक्ता की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या का निदान अनुसूची–I (3.1)(2) कम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली का सुधार 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चिम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

वाद संख्या 339 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 06-03-2024

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को उपभोक्ता की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या का निदान अनुसूची–I (3.1)(2) कम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली का सुधार 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चिम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

दिनांक– 06-03-2024

वाद संख्या 340 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को उपभोक्ता की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या का निदान अनुसूची–I (3.1)(2) कम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली का सुधार 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चिम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः- 246429

वाद संख्या 342/2023-24 दिनांक- 06-03-2024

श्री गोविन्द लाल — परिवादी
ग्रा0-निजमुला, पो0-गाड़ी
जिला-चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल प्रेषित न होने के सम्बन्ध में है। श्री गोविन्द लाल, ग्रा0-निजमुला, पो0-गाड़ी, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि विभाग द्वारा सात-आठ वर्ष पूर्व प्रार्थी को उनके पिताजी के नाम पर विद्युत संयोजन दिया गया था, किन्तु आज तक उस पर कोई भी विद्युत बिल प्रेषित नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच से उक्त शिकायत में तथ्य पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मॉग की गई। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। उपभोक्ता के शिकायती पत्र पर संयोजन संख्या न होने के कारण विभाग अपना पक्ष रखने में असमर्थ है। मंच द्वारा उपभोक्ता को दूरभाष से सम्पर्क करने पर, उपभोक्ता का मोबाइल बन्द होने के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया, एवं शिकायती पत्र में संयोजन संख्या न होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकती है।

आदेश

मंच उपभोक्ता के शिकायती पत्र में संयोजन संख्या न होने के कारण उपभोक्ता का परिवाद अस्वीकार करता है। और उपभोक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अपनी विद्युत संयोजन संख्या सहित लिखित शिकायत विभाग को प्रेषित करे, एवं शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में मय प्रमाण के साथ मंच में लिखित शिकायत संयोजन संख्या सहित दर्ज करे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता)	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)
सदस्य-उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सदस्य-विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सदस्य-तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 343/2023-24 दिनांक- 06-03-2024

श्री वीरेन्द्र सिंह — परिवादी
ग्रा0-निजमुला, (मान्दुरा) पो0-गाड़ी
जिला-चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद ऑनलाइन बिल जमा करने के सम्बन्ध में है। श्री वीरेन्द्र सिंह, ग्रा0-निजमुला, (मान्दुरा) पो0-गाड़ी, संयोजन सं0-GP 10341116809 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 14 सितम्बर को 05.16 बजे ऑनलाइन विद्युत बिल जमा किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा जमा की गई राशि विभाग के एकाउण्ट में जमा नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। उपभोक्ता ने मंच के सम्मुख कोई ऐसा प्रमाण पेश नहीं किये हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन विद्युत बिल जमा किया गया है, मंच द्वारा उपभोक्ता को दूरभाष से सम्पर्क करने पर, उपभोक्ता का मोबाइल बन्द होने के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया, एवं शिकायत तथ्यहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथ्यहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। और उपभोक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अपने पूर्ण प्रमाण सहित लिखित शिकायत विभाग को प्रेषित करे। एवं शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में मय प्रमाण के साथ मंच में लिखित शिकायत दर्ज करे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 345/2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री रघुवीर सिंह – परिवादी
ग्रा0–निजमुला, पो0–गाड़ी
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री रघुवीर सिंह, ग्रा0–निजमुला, पो0–गाड़ी, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी द्वारा अपने पुराने मीटर को हटाकर नया मीटर लगाया गया है। पुराने मीटर की रीडिंग का पूर्ण भुगतान भी उपभोक्ता द्वारा किया गया है, तथा नये मीटर की रीडिंग 448 यूनिट है। जिस पर विभाग द्वारा उपभोक्ता को रू0 29000 का बिल दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच से उक्त शिकायत में तथ्य पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मॉग की गई। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। उपभोक्ता के शिकायती पत्र पर संयोजन संख्या न होने के कारण विभाग अपना पक्ष रखने में असमर्थ है। मंच द्वारा उपभोक्ता को दूरभाष से सम्पर्क करने पर, उपभोक्ता का मोबाइल बन्द होने के कारण सम्पर्क नहीं हो पाया, एवं शिकायती पत्र में संयोजन संख्या न होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकती है।

आदेश

मंच उपभोक्ता के शिकायती पत्र में संयोजन संख्या न होने कारण उपभोक्ता का परिवाद अस्वीकार करता है। और उपभोक्ता को यह आदेशित किया जाता है कि वह अपनी विद्युत संयोजन संख्या सहित लिखित शिकायत विभाग को प्रेषित करे। एवं शिकायत का समाधान न होने की स्थिति में मय प्रमाण के साथ मंच में लिखित शिकायत संयोजन संख्या सहित दर्ज करे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 348 / 2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री रघुवीर सिंह — परिवादी
ग्रा0–निजमुला, (मान्दुरा) पो0–गाड़ी
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद नया संयेाजन न होने के सम्बन्ध में है। श्री रघुवीर सिंह, ग्रा0–निजमुला, (मान्दुरा) पो0–गाड़ी, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा विभाग में नये संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, किन्तु चार माह बाद भी उपभोक्ता को नया विद्युत संयोजन नहीं दिया गया है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा मंच से उक्त शिकायत में तथ्य पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मॉग की गई। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। मंच द्वारा उपभोक्ता को दूरभाष से सम्पर्क करने पर उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता ने नये संयोजन के लिए नियत धनराशि विभाग में जमा नहीं की है।

आदेश

मंच उपभोक्ता का परिवाद अस्वीकार करता है, और उपभोक्ता को सुझाव दिया जाता है कि वह विभाग में नये विद्युत संयोजन हेतु नियत धनराशि जमा करे। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः- 246429

वाद संख्या 349/2023-24 दिनांक- 06-03-2024

श्री मनवर सिंह — परिवादी
ग्रा0-निजमुला, पो0-गाड़ी
जिला-चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मनवर सिंह, ग्रा0-निजमुला, पो0-गाड़ी, संयोजन सं0-GP 10341230670 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग के मीटर रीडर पर सन्देह है कि वह अपनी मर्जी बिना मीटर देखे विद्युत बिल दे रहा है, जो कि उसकी विद्युत आपूर्ति से अत्यधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः बिलिंग चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 29 kwh यूनिट है जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य-तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

वाद संख्या 350 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 06-03-2024

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को उपभोक्ता की वोल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या का निदान अनुसूची–I (3.1)(2) कम संख्या 3 में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली का सुधार 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चिम करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

वाद संख्या 383 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 06-03-2024

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता द्वारा अब तक दी गई रू0 7,00,000 (सात लाख) की धनराशि के अलावा एक साथ बिल सं0–29503240110000012, दिनांक 10.01.2024, को रू 1,939,671.52 की धनराशि के विद्युत बिल की वसूली पर फाइनल निर्णय हाने तक रोक लगाता है। साथ ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यह भी आदेश देता है कि परिवादी की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को नियमित रूप से विद्युत बिल दें। एवं उपभोक्ता को आदेशित करता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 10.01.2024 की तिथि के उपरान्त विद्युत खपत की राशि को नियमित रूप से जमा करे।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता)	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 361/2023–24 दिनांक– 07/03/2024

श्री नारायण सिंह
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। — विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री नारायण सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318902477 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उनके नाम से एक अतिरिक्त विद्युत बिल दिया जा रहा है, जिसका संयोजन सं0– NB 21318902479 है, जो गलत है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के गलत संयोजन को बन्द कर दिया गया है। विभाग द्वारा बन्द किये गये संयोजन की कन्ज्यूमर हिस्ट्री मंच के सम्मुख प्रेषित की गई।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता के गलत संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बन्द कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त वाद का निस्तारण कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 367 / 2023–24 दिनांक– 07/03/2024

श्री दयाल सिंह नेगी – परिवादी
ग्रा0–कोलपुड़ी, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री दयाल सिंह नेगी, ग्रा0–कोलपुड़ी, वि0ख0 थराली जिला–चमोली संयोजन सं0–NB 21318704575 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग पूर्व में बिना मीटर रीडिंग के बिल दिये गये थे, जो उपभोक्ता द्वारा बराबर जमा किये गये, किन्तु विभाग द्वारा पॉच साल में एक बार रीडिंग की जा रही है एवं वर्तमान बिल रू0 10,000 का दिया गया है जो उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 20.12.2023 एवं दिनांक 10.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 368 / 2023–24 दिनांक– 07/03/2024

श्री लक्ष्मण सिंह, S/O बाग सिंह,
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

अन्तरिम निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री लक्ष्मण सिंह S/O बाग सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318615155 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर रीडिंग के विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दूसरी सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली विभाग ने यह स्वीकार किया कि मीटर रीडिंग में मीटर रीडर के द्वारा त्रुटि होने के कारण उपभोक्ता का विद्युत बिल अधिक आया है जो कि अब उनके द्वारा संशोधित करके उपभोक्ता को प्रेषित किया गया है। विभाग ने विद्युत बिल में सुधार कर उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री, कन्ज्यूमर लेजर एवं correction calculation sheet भी मंच को प्रस्तुत की। मंच का यह मत है कि उपभोक्ता का बिल उसकी कनेक्टेड लोड की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का विद्युत सयोजन काटना उपभोक्ता के साथ अन्याय होगा।

आदेश

चूंकि यह शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में विचाराधीन है। अतः मंच विभाग को यह आदेश देता है कि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बहाल रखे, एवं उपभोक्ता को दिनांक 18.12.2023 एवं दिनांक 11.02.2024 के बिल तकनीकि दृष्टि से अत्यधिक होने एवं मीटर रीडर की त्रुटि के कारण उक्त बिल की वसूली में निर्णय फाइनल होने तक इस अन्तिरिम आदेश के द्वारा रोक लगायी जाती है।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 326 / 2023–24 दिनांक– 06-03-2024

श्री अरविन्द डिमरी — परिवादी
ग्रा0–मज्याड़ी, पो0–सिमली,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैंण।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री अरविन्द डिमरी संयोजन सं0–GS12327207593 वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 29.11.2023 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी द्वारा अपना विद्युत बिल रू0 698 विभागीय बिल कलेक्टर श्री देवली जी के पास दिनांक 29 सितम्बर 2023 को प्रातः 10:39 बजे जमा कराया गया, जिसकी रसीद सं0– 1656158 है। दूसरी ओर प्रार्थी की माताजी द्वारा भी बिल कलेक्टर के पास वही विद्युत बिल जमा किया गया, जिसकी रसीद सं0– 1656092 है। जबकि दोनो रसीदों में भले ही क्रमांक अलग–अलग हैं, लेकिन समय एवं तिथि 29 सितम्बर 2023 प्रातः 10:39 बजे ही दर्शाया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 898 दिनांक 30.11.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.12.2023 एंव दिनांक 30.01.2023 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा मंच के सम्मुख साक्ष्य प्रेषित कर अवगत किया गया कि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त जमा की गई धनराशि को उपभोक्ता के विद्युत बिलों में समायोजित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त जमा की गई धनराशि को वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने उपभोक्ता के विद्युत बिलों में समायोजित कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत का समाधान करने पर परिवाद निस्तारित किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या से 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 331 / 2023–24 दिनांक– 30/03/2024

श्री मोहन दास – परिवादी
ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री मोहन दास ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना, संयोजन सं0–GP 20448123402 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विद्युत बिल उसकी विद्युत आपूर्ति से अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 911 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री दीपक राणा अवर अभियंता, वि0वि0उपखण्ड चमोली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिनांक 07.08.2020 से दिनांक 17.12.2022 तक NR के बिल प्रेषित किये गये हैं। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम 5.1.4 (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

(2) *जहॉ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रुका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 331 / 2023–24 दिनांक– 30/03/2024
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

(3) *जहॉं अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि सम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" *5.1.7 त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग*

(1) *त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए / चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम मॉग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों / बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों / बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉग पर विचारित की जाएगी।"*

4. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को दिनांक 07.08.2020 से 17.12.2022 तक **NR** के बिल प्रेषित किये गये है। उपलब्ध अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उपभोक्ता का मीटर 26 अगस्त 2022 को नये मीटर सं0–15687282 द्वारा परिवर्तित किया गया और पुराना मीटर सं0– A08983 हटाया जिसकी कि रीडिंग 2855 यूनिट दर्ज है, एवं यही यूनिट संख्या(2855) माह 06 / 2020 में प्रेषित किये गये बिल सं0– SB96052006211018 में भी दर्ज है, जिससे कि यह साबित होता है कि उपभोक्ता का मीटर जून 2020 से मीटर परिवर्तित करने की तिथि 26 अगस्त 2022 तक कार्यरत नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का मीटर त्रुटिपूर्ण था एवं अनुज्ञापी द्वारा विनियम 5.1.4 का उल्लंघन /अनदेखी करते हुए 30 दिनों के भीतर जॉच नही की गई और ना ही 15 दिनों के भीतर मीटर नहीं बदला गया। विभाग ने मीटर बदलने का कोई भी कारण मंच को प्रेषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विनियम के उपविनियम 5.1.7(1) के अनुसार उपभोक्ता के दिनांक 14.10.2020 से दिनांक 17.12.2022 तक के सभी **NR** के बिल निरस्त करने योग्य हैं, तथा दिनांक 14.10.2020 एवं दिनांक 17.12.2020 के बिल उपरोक्त विनियम 5.1.7 के अनुसार पिछले तीन बिल चक्रों दिनांक 09.02.2020, 09.04.2020 एवं दिनांक 21.06.2020 की औसत खपत के आधार पर (43+64+87/3=65) संशोधित करने योग्य हैं।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 14.10.2020 से दिनांक 16.06 2022 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 14.10.2020 एवं दिनांक 17.12.2020 का बीजक 65 kwh यूनिट के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारां जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विंद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 365/2023–24 दिनांक– 30/03/2024

श्री प्रेम सिंह फरस्वांण – परिवादी
(सरपंच प्रतिनिधि) ग्रामपंचायत–बूंगा,
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री प्रेम सिंह फरस्वांण, (सरपंच प्रतिनिधि) ग्रामपंचायत–बूंगा, पो0–गेरूड़, वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि ठेकेदार श्री मनीष सैनी द्वारा प्रार्थी के ग्रामपंचायत में नये संयोजन किये गये थे किन्तु अभी तक मीटर नहीं लगे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने अपने कार्यालय पत्रांक 882 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 353/2023–24 दिनांक– 30/03/2024

श्रीमती सुषमा देवी, – परिवादी
छावनी बाजार वार्ड सं0–01
जोशीमठ, जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा दिये गये वाद सं0–320 के निर्णय के सन्दर्भ में है। श्रीमती सुषमा देवी, छावनी बाजार वार्ड सं0–01 जोशीमठ, वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 16.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थिनी की पूर्व में वाद सं0–320 में मंच द्वारा दिये गये निर्णय का अनुपालन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 924 दिनांक 24.01.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अविनाश भट्ट, उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड जोशीमठ ने मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता के बिलों में संशोधन कर स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया विभाग द्वारा उक्त उपभोक्ता के पूर्व वाद सं0 320 में दिनांक 29.09.2023 को उपभोक्ता की शिकायत में मंच द्वारा विभाग को उपभोक्ता के दिनांक 07.07.2021 से दिनांक 11.05.2023 तक के सभी बिलों को निरस्त करने एवं उस दौरान किए गए बिलों के भुगतान को भविष्य के बिलों में समायोजित करने का आदेश दिया गया था। विभाग द्वारा UERC के उ0वि0नि0आ0(उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश) विनियम, 2019 के बिन्दु 3.3(7) एवं बिन्दु 3.3(8) में विनिर्दिष्ट विनियमों का उल्लंघन करते हुए 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया।
4. विनियम 3.3(7) एवं 3.3(8) नीचे वर्णित हैः–

3.3(7) *पीड़ित व्यक्ति तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए फोरम के आदेश को मानना अनिवार्य होगा।*

3.3(8) *फोरम वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता, जैसी भी स्थिति हो, के लिए अनुपालन का अवधि का स्पष्ट उल्लेख करेगा। सामान्यतः यह अवधि 30 दिन की होनी चाहिए। यदि आदेश के अनुपालन में वृहद् कार्य/व्यापकता शामिल हो तो कारणों को लिखित रूप में अंकित करते हुए 30 दिन की इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 331 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 30/03/2024

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को 30 दिनों के भीतर आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा मंच UERC के उ0वि0नि0आ0 के बिन्दु 3.3(12) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट नियम के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 तथा 146 के साथ सहपठित धारा 149 के अन्तर्गत उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित करेगा। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 357 / 2023–24 दिनांक– 30/03/2024

श्रीमती विनीता देवी – परिवादी
ग्रा0–सारी, पो0–ऊखीमठ
जिला–रूद्रप्रयाग।

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत लाइन के तार से जनहानि होने के सन्दर्भ में है। श्रीमती विनीता देवी, ग्रा0–सारी, पो0–ऊखीमठ वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी के मकान के ऊपर से विभाग की विद्युत लाइन के तार झूल रहे हैं जिससे जन–हानि होने का खतरा बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 928 दिनांक 30.01.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री के0 एन0 मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, उपस्थित हुए। विभाग द्वारा उक्त वाद के निस्तारण के लिए अगली तिथि की मांग की गई।
3. मंच द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अजेन्द्र सिहं उपखण्ड अधिकारी, सुमाडी उपस्थित हुए, विभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 270 दिनांक 29.02.2024 द्वारा मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत लाइन के नीचे मकान बनाया गया है तथा विद्युत लाइन के तार पूर्ण रूप से टाईट पाये गये हैं। उपभोक्ता द्वारा लाइन शिफ्टिंग हेतु आवेदन करने पर ही शिफ्टिंग का प्राक्कलन बनाया जाना सम्भव है।
4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा लाइन शिफ्टिंग हेतु आवेदन करने पर ही शिफ्टिंग का प्राक्कलन बनाया जाना सम्भव है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 346 / 2023–24 दिनांक– 30/03/2024

श्री बोंणिया लाल — परिवादी
ग्रा0–निजमुला, पो0–गाड़ी
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री बोंणिया लाल, ग्रा0–निजमुला, पो0–गाड़ी, संयोजन सं0–GP 10341118236 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा लगातार IDF के विद्युत बिल दिये जा रहे हैं, एवं विभाग द्वारा प्रार्थी का विद्युत संयोजन बिना पूछे काट दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिनांक 15.09.2012 से दिनांक 23.11.2023 तक IDF के बिल प्रेषित किये गये हैं। **UERC (The Electricity Supply Code) Regulations 2007,** के **Sub-regulation** 3.1.4 के अनुसार सभी खराब मीटर (ADF,RDF OR IDF) तीन महीनों के समय के अन्तर्गत ठीक करना तय किया गया है। मीटर खराब होने की दशा में **Sub-regulation** 3.2(1) के अनुसार उपभोक्ता के Average Consumption के हिसाब से अधिकतम तीन महीने तक ही विद्युत बिल दिए जा सकते है , और इस समय के अन्तर्गत मीटर बदलना विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है।
4. UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम 5.1.4 (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) *यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।*

(2) *जहॉ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रूका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 331/2023–24 दिनांक– 30/03/2024
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

(3) *जहाँ अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।"*

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम नीचे विनिर्दिष्ट हैं–

" *5.1.7 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग*

(1) *त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।*

(2) *अधिकतम मॉग प्रभार की गणना, पिछले वर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉग पर विचारित की जाएगी।"*

5. उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त बिन्दु (03) एवं (04) में उल्लेखित किये गये **UERC** के नियमों का उल्लंघन किया गया है। विभाग द्वारा परिवादी को दो से अधिक बिल दिनांक 17.01.2013 के उपरान्त दिनांक 23.11.2023 तक **IDF** के बिल दिये जाना **UERC** के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है, तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार दिनांक 15.09.2012 तथा दिनांक 20.11.2012 के बिल पिछले तीन बिल चक्रों दिनांक 15.03.2012, 15.05.2012 एवं दिनांक 20.07.2012 की औसत खपत के आधार पर (40+80+34/3=51) संशोधित करने योग्य हैं। एवं अनुज्ञापी द्वारा नियम 5.1.4 के अनुसार रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर को 30 दिनों के भीतर जॉच कर मीटर सही न पाये जाने पर 15 दिनों के अन्दर बदलना तय किया गया है जिसका कि विभाग द्वारा उल्लंघन किया गया है।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 17.01.2013 से दिनांक 23.11.2023 तक के विद्युत बिल निरस्त करने एवं परिवादी का दिनांक 15.09.2012 तथा दिनांक 20.11.2012 का बीजक 51 kwh यूनिट के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	[illegible] सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 385/2023-24 दिनांक- 28/03/2024

श्रीमती बसन्ती देवी,
नियर आई0टी0आई0
कर्णप्रयाग । — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गैरसैंण। — विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती बसन्ती देवी, नियर आई0टी0आई0 कर्णप्रयाग संयोजन सं0-GS 22104015629 वि0वि0खण्ड गैरसैंण ने दिनांक 22.02.2024 को पत्र के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थिनी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थिनी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में मंच के पत्रांक 947 दिनांक 23.02.2024 द्वारा उक्त शिकायत की सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री तवरेज आलम, उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड कर्णप्रयाग ने मंच को अवगत किया कि उपभोक्ता का विद्युत भार 1 किलोवाट है, एवं उसका अधिकतम बिल पिछले एक साल में 119 यूनिट है, जोकि सही है। विभाग द्वारा मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 84 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य-तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)</u>
<u>उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,</u>
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 356 / 2023–24 दिनांक– 26/03/2024

श्री राकेश सिंह, – परिवादी
ग्रा0–सारी, ऊखीमठ,
जिला–रूद्रप्रयाग।

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

<u>निर्णय</u>

1. परिवाद समय से विद्युत बिल न मिलने एवं अधिक बिल के सन्दर्भ में है। श्री राकेश सिंह, ग्रा0–सारी, ऊखीमठ संयोजन सं0–RP 66263368443 वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा नियमित विद्युत बिल नहीं दिये जा रहे हैं, जिसके कारण उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 928 दिनांक 30.01.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर <u>हिस्ट्री/तथ्य/विवरण</u> प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री के0एन0मिश्रा, उपखण्ड अधिकारी, ने मंच से उक्त उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए एक अगली सुनवाई तिथि की मांग की। दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड सुमाड़ी ने मंच के सम्मुख पत्र द्वारा बताया कि उपभोक्ता की अधिकतम मांग 3 किलोवाट है, एवं विभाग द्वारा उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, जबकि उपभोक्ता की विद्युत खपत की अधिकतम मांग 3 किलोवाट है। उपभोक्ता की अधिकतम विद्युत मांग 3 किलोवाट की तुलना में उपभोक्ता के विद्युत बिल तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। अतः मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) | सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) | भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

वाद संख्या 358 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 26/03/2024

5. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2kw है, और Maximum demand 7kw का है अतः विभाग का लिया गया ऐक्सन (Action) UERC के नियमों के अनुरूप है और न्याय संगत है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (गढ़वाल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 358 / 2023-24 दिनांक- 26/03/2024

श्री पुष्कर सिंह — परिवादी
ग्रा0-सारी, पो0-ऊखीमठ
जिला-~~चमोली~~। रुद्रप्रयाग

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री पुष्कर सिंह, ग्रा0-सारी, पो0-ऊखीमठ संयोजन सं0-RP 16205368348 वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विभाग द्वारा घरेलू कनेक्शन से हटाकर व्यवासायिक कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता होमस्टे है प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 928 दिनांक 30.01.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री के0 एन0 मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, उपस्थित हुए। विभाग द्वारा उक्त वाद के निस्तारण के लिए अगली तिथि की मांग की गई।
3. मंच द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नही हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अजेन्द्र सिहं उपखण्ड अधिकारी, सुमाडी उपस्थित हुए, विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा होमस्टे का संचालन किया जा रहा है जबकि उपभोक्ता के विवरण से स्पष्ट है कि उनकी अधिकतम विद्युत मांग 7kw तक है, तथा UERC के tariff order - 2023-24 के RTS-1 के अनुसार उपभोक्ता का भार 2kw व खपत 200kw/month होने पर ही उपभोक्ता को घरेलू संयोजन दिया जा सकता है।
4. UERC के tariff आदेश के अध्याय-8 के रेट *शेड्यूल* RTS-1 के बिन्दु 1(v) में होमस्टे सम्बधित tariff नियम विनिदृष्ट है और नीचे वर्णित है।
टैरिफ आदेश के अध्याय -08 अनुसूची (रेट शेड्यूल) का हिन्दी रूपान्तरण।

RTS-1 : घरेलू

1. **अनुप्रयोज्यता:**-*दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना नियामावली, 2018 के अन्तर्गत पंजीकृत होम-स्टे (यह दर सूची उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनके पास 2kw तक का संविदाकृत भार है, साथ ही 200kw/month तक का उपभोग है तथा जो उपरोक्त परिसर का कुछ भाग उपरोक्त अघरेलू उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। तथापि यदि ऐसे परिसरों के लिए संविदाकृत भार 2kw से अधिक व उपभोग 200kw/month से अधिक है तो जब तक कि भार को अलग-अलग नहीं किया जाता तथा पृथक रूप से मीटर नहीं लिया जाता, दोनों में से कोई एक, उपभोग की गई समस्त ऊर्जा उपयुक्त दर अनुसूची के अधीन प्रभावित की जाएगी।)*

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 359 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 26/03/2024

5. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2kw है, और Maximum demand 4kw का है अतः विभाग का लिया गया ऐक्सन (Action) UERC के नियमों के अनुरूप है और न्याय संगत है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 359 / 2023–24 दिनांक– 26/03/2024

श्रीमती सुषमा देवी w/o श्री राजवीर सिंह – परिवादी
ग्रा0–सारी, पो0–ऊखीमठ
जिला–~~चमोली~~ रुद्रप्रयाग,

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती सुषमा देवी w/o श्री राजवीर सिंह ग्रा0–सारी, पो0–ऊखीमठ संयोजन सं0–RP 16205717346 वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विभाग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार की नीति के आधार पर है, कमरे के होमस्टे पर व्यवसायिक कनेक्शन के बजाय घरेलू कनेक्शन ही मान्य है, लेकिन स्थानीय लाइनमैन द्वारा उपभोक्ता से नये संयोजन हेतु रूपये की मांग की गयी है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 928 दिनांक 30.01.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री के0 एन0 मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, उपस्थित हुए। विभाग द्वारा उक्त वाद के निस्तारण के लिए अगली तिथि की मांग की गई।
3. मंच द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अजेन्द्र सिंहं उपखण्ड अधिकारी, सुमाडी उपस्थित हुए, विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत किया कि उपभोक्ता द्वारा संयोजन को घरेलू में मान्य किया जाए। जिसमें उपभोक्ता द्वारा होमस्टे चलाया जा रहा है, जबकि उपभोक्ता के विवरण से स्पष्ट है कि उनकी अधिकतम विद्युत मांग 4kw तक है, तथा UERC के tariff order -2023-24 के RTS-1 के अनुसार उपभोक्ता का भार 2kw व खपत 200kw/month होने पर ही उपभोक्ता को घरेलू संयोजन दिया जा सकता है।
4. UERC के tariff आदेश के अध्याय–8 के रेट *शेड्यूल* RTS-1 के बिन्दु 1(v) में होमस्टे सम्बधित tariff नियम विनिदृष्ट है और नीचे वर्णित है।
टैरिफ आदेश के अध्याय –08 अनुसूची (रेट शेड्यूल) का हिन्दी रूपान्तरण।

RTS-1 : घरेलू

1. अनुप्रयोज्यताः– *दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना नियामावली, 2018 के अन्तर्गत पंजीकृत होम–स्टे (यह दर सूची उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनके पास 2kw तक का संविदाकृत भार है, साथ ही 200kw/month तक का उपभोग है तथा जो उपरोक्त परिसर का कुछ भाग उपरोक्त अघरेलू उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। तथापि यदि ऐसे परिसरों के लिए संविदाकृत भार 2kw से अधिक व उपभोग 200kw/month से अधिक है तो जब तक कि भार को अलग–अलग नहीं किया जाता तथा पृथक रूप से मीटर नहीं लिया जाता, दोनों में से कोई एक, उपभोग की गई समस्त ऊर्जा उपयुक्त दर अनुसूची के अधीन प्रभावित की जाएगी।)*

क्रमशः..... 02

दिनांक– 26/03/2024

वाद संख्या 360 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

5. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2kw है, और Maximum demand 5kw का है अतः विभाग का लिया गया ऐक्सन (Action) UERC के नियमों के अनुरूप है और न्याय संगत है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण
कर्णप्रयाग (मण्डल)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 360 / 2023–24 दिनांक– 26/03/2024

श्री भूपेन्द्र सिंह – परिवादी
ग्रा0–सारी, पो0–ऊखीमठ
जिला–~~चमोली~~। रुद्रप्रयाग

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
रूद्रप्रयाग।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्रा0–सारी, पो0–ऊखीमठ संयोजन सं0–RP 66263369700 वि0वि0खण्ड रूद्रप्रयाग ने पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का 2kw संयोजन है किन्तु विभाग द्वारा प्रार्थी के संयोजन को व्यवसायिक कर दिया गया है, प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 928 दिनांक 30.01.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री के0 एन0 मिश्रा उपखण्ड अधिकारी, उपस्थित हुए। विभाग द्वारा उक्त वाद के निस्तारण के लिए अगली तिथि की मांग की गई।
3. मंच द्वारा अगली सुनवाई दिनांक 01.03.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नही हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अजेन्द्र सिहं उपखण्ड अधिकारी, सुमाडी उपस्थित हुए, विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत किया कि उपभोक्ता के व्यवसायिक संयोजन को बदल दिया गया है जिसमें उपभोक्ता द्वारा होमस्टे चलाया जा रहा है जबकि उपभोक्ता के विवरण से स्पष्ट है कि उनकी अधिकतम विद्युत मांग 5kw तक है, तथा UERC के tariff order -2023-24 के RTS-1 के अनुसार उपभोक्ता का भार 2kw व खपत 200kw/month होने पर ही उपभोक्ता को घरेलू संयोजन दिया जा सकता है।
4. UERC के tariff आदेश के अध्याय–8 के रेट *शेड़यूल* RTS-1 के बिन्दु 1(v) में होमस्टे सम्बधित tariff नियम विनिदृष्ट है और नीचे वर्णित है।
टैरिफ आदेश के अध्याय –08 अनुसूची (रेट शेड़यूल) का हिन्दी रूपान्तरण।

RTS-1 : घरेलू

1. अनुप्रयोज्यता:– *दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना नियामावली, 2018 के अन्तर्गत पंजीकृत होम–स्टे (यह दर सूची उन उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिनके पास 2kw तक का संविदाकृत भार है, साथ ही 200kw/month तक का उपभोग है तथा जो उपरोक्त परिसर का कुछ भाग उपरोक्त अघरेलू उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। तथापि यदि ऐसे परिसरों के लिए संविदाकृत भार 2kw से अधिक व उपभोग 200kw/month से अधिक है तो जब तक कि भार को अलग–अलग नहीं किया जाता तथा पृथक रूप से मीटर नहीं लिया जाता, दोनों में से कोई एक, उपभोग की गई समस्त ऊर्जा उपयुक्त दर अनुसूची के अधीन प्रभावित की जाएगी।)*

क्रमशः..... 02

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 375/2023-24 दिनांक- 28/03/2024

श्री बाले सिंह
ग्रा0-बूंगा, पो0-गेरूड़
जिला-चमोली। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। — विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री बाले सिंह, ग्रा0-बूंगा, पो0-गेरूड़, संयोजन सं0-NB 21318701544 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा रू0 11076 का विद्युत बिल दिया गया है, जो उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 64 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) नें यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य-तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,
Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 371/2023—24 दिनांक— 28/03/2024

श्री नरेन्द्र सिंह, S/O श्री मेहरवान सिंह — परिवादी
ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री नरेन्द्र सिंह, S/O श्री मेहरवान सिंह, ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़, संयोजन सं0—NB 21318903055 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर के विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच से उक्त उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए एक अगली सुनवाई तिथि की मांग की। दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने अपने कार्यालय पत्रांक 888 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य—उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य—विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य—तक...
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 372 / 2023–24 दिनांक– 28/03/2024

श्री भन्दर सिंह – परिवादी
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री भन्दर सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318800068 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा एक ही नाम के दो विद्युत बिल दिये जा रहे हैं, एवं बिना मीटर के विद्युत बिल दिये जा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच से उक्त उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए एक अगली सुनवाई तिथि की मांग की। दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने अपने कार्यालय पत्रांक 888 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:– 246429

वाद संख्या 370/2023–24 दिनांक– 28/03/2024

श्री गोपाल सिंह, S/O श्री चन्द्र सिंह, – परिवादी
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, – विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गोपाल सिंह S/O श्री चन्द्र सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318701571 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा अनुमानित विद्युत बिल दिया जा रहा है, एवं उपभोक्ता की विद्युत लाइन में बोल्टेज कम–ज्यादा होती रहती है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख अपने कार्यालय पत्रांक 887 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी	सन्तोष डिमरी	भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य उपभोक्ता)	(सदस्य विधि)	(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–उपभोक्ता	सदस्य–विधि	सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 351 / 2023–24

दिनांक– 23/03/2024

श्री विक्रम सिंह
ग्रा0–निजमुला, पो0–गाड़ी
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद विद्युत संयोजन विच्छेदित करने के सन्दर्भ में है। श्री विक्रम सिंह, ग्रा0–निजमुला, पो0–गाड़ी, संयोजन सं0–GP 10323114114 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी ने उक्त संयोजन दिनांक 16 फरवरी 20218 को रसीद सं0–0543219 द्वारा विच्छेदित करने हेतु आवेदन किया था, किन्तु विभाग द्वारा वर्तमान तक भी कटवाये गये संयोजन के विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे हैं। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 912 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री अंकित रावत, अवर अभियंता, वि0वि0 खण्ड गोपेश्वर ने मंच से उक्त वाद के निस्तारण हेतु एक अगली सुनवाई की मांग की। दिनांक 30.01.2024, 21.02.2024 एवं 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा उपभोक्ता पक्ष की पत्रावलियों का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता ने संयोजन सं0–GP 10323114114 को विच्छेदित करने हेतु दिनांक 16 फरवरी 2018 को रसीद सं0–0543219 द्वारा विभाग में आवेदन किया था।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के संयोजन को पूर्ण विच्छेदित (PD) करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)

सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

वाद संख्या 337 / 2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 23/03/2024

(3) जहॉं अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संम्भवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जॉच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।

UERC आपूर्ति संहिता के विनियम 5.1.7 में त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग के नियम विनिर्दिष्ट हैं–

" 5.1.7 त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग

(1) त्रुटिपूर्ण / अटके हुए / रूके हुए / जले हुए / चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाये जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाये जायेंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।

(2) अधिकतम मॉंग प्रभार की गणना, पिछले बर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों / बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मॉंग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों / बिलिंग चक्र की रिकॉर्ड की गई एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मॉंग पर विचारित की जाएगी।

4. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता को विभाग द्वारा परिवादी को दो से अधिक बिल दिनांक 23.02.2021 के उपरान्त दिनांक 11.10.2023 तक **NR** के बिल दिये जाना **UERC** के उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है और निरस्त करने योग्य है, तथा उपरोक्त विनियम के अनुसार दिनांक 14.10.2020 तथा दिनांक 17.12.2020 के बिल पिछले तीन बिल चक्रों दिनांक 09.04.2020, 21.06.2020 एवं दिनांक 07.08.2020 की औसत खपत के आधार पर (26+21+15/3=21) संशोधित करने योग्य हैं। अनुज्ञापी द्वारा नियम 5.1.4 के अनुसार रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर को 30 दिनों के भीतर जॉच कर मीटर सही न पाये जाने पर 15 दिनों के अन्दर बदलना तय किया गया है जिसका कि विभाग द्वारा उल्लंघन किया गया है। साथ ही विभाग द्वारा UERC आपूर्ति संहिता 2020 के विनियम 5.1.7 का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ता को दो से अधिक **NR** के बिल प्रेषित किये गये हैं, उक्त विनियम के अनुसार विभाग उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए ही बिल प्रेषित करने का प्रभार रखता है, इस दौरान उपभोक्ता का मीटर बदला जाना तय किया गया है, जोकि विभाग द्वारा तय समय पर नहीं किया गया है।

आदेश

मंच परिवादी का परिवाद स्वीकार करते हुए उपभोक्ता के दिनांक 23.02.2021 से दिनांक 11.10.2023 तक के विद्युत बिल निरस्त करने का आदेश देता है, एवं परिवादी का दिनांक 14.10.2020 तथा दिनांक 17.12. 2020 का बीजक 21 kwh यूनिट के अनुसार प्रेषित करने का आदेश देता है, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विभाग निरस्त किये गये बिलों की उपभोक्ता द्वारा जमा राशि अग्रिम बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता)	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि)	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 337 / 2023–24 दिनांक– 23/03/2024

श्रीमती सावित्री देवी – परिवादी
ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना
जिला–चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता – विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
गोपेश्वर।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी – सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी – सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी – सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्रीमती सावित्री देवी, ग्रा0–सरतोली, पो0–बगना, संयोजन सं0–GP 20448120937 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 12.12.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर के विद्युत बिल दिया जा रहा है, जो उसकी विद्युत आपूर्ति से अत्यधिक है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 911 दिनांक 22.12.2023 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 18.01.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, पर विभाग की ओर से उपस्थित श्री दीपक राणा अवर अभियंता, वि0वि0उपखण्ड चमोली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024, दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए।
3. मंच द्वारा दोनों पक्षों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उपभोक्ता को दिनांक 14.10.2020 से दिनांक 11.10.2023 तक NR के बिल प्रेषित किये गये हैं। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations 2020 में रिकॉर्डिंग न करने वाले मीटर के विनियम 5.1.4 (1)(2)(3) में विनिर्दिष्ट हैं, एवं नीचे उल्लेखित किये गये हैं–

" *5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटर*

(1) यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जॉच करेगा, तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात् 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को बदल दिया जाएगा।

(2) जहॉ अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जॉच करेगा तथा यदि मीटर अटका हुआ/रुका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।

क्रमशः..... 02

वाद संख्या 331/2023–24
उ0शि0नि0मं0 कर्णप्रयाग

दिनांक– 23/02/2024

4. उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को पूर्ण बिल का भुगतान कर दिया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मंच को दी गई उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री एवं मीटर सीलिंग रिपोर्ट की छायाप्रति निर्णय के साथ संलग्नित कर उपभोक्ता को प्रेषित की जा रही है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। विभाग निर्णय का अनुपालन करते हुए अनुपालनार्थ आख्या 30 दिनों के अन्तर्गत मंच को अवगत करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

[illegible] सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 325/2023–24 दिनांक– 23/03/2024

श्री राकेश रंजन भिलंगवाल होटल शैलजा, जोशीमठ, जिला चमोली ।	–	परिवादी
	बनाम	
अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर।	–	विपक्षी
	कोरम	
श्री शशि भूषण मैठाणी श्री सन्तोष डिमरी श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी		सदस्य उपभोक्ता सदस्य विधि सदस्य तकनीकि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री राकेश रंजन भिलंगवाल, होटल शैलजा, जोशीमठ संयोजन सं0–GP 611620009452 वि0वि0खण्ड गोपेश्वर ने पत्र दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी का विद्युत बिल उसकी विद्युत आपूर्ति से अत्यधिक आ रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 890 दिनांक 20.10.2023 द्वारा दिनांक 25.10.2023 की सुनवाई के दौरान श्री अविनाश भट्ट, उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड जोशीमठ ने उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री मंच के सम्मुख प्रेषित की। मंच के सम्मुख दिनांक 06.11.2023 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित हुए, विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए, विद्युत परीक्षण खण्ड की ओर से श्री मुनीष कुमार अवर अभियन्ता कर्णप्रयाग ने मंच के सम्मुख उपभोक्ता की मीटर सीलिंग रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 30.01.2024 की सुनवाई के दौरान विभाग एवं उपभोक्ता दोनों ही पक्ष मंच के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 21.02.2024 के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से श्री अविनाश भट्ट उपखण्ड अधिकारी जोशीमठ द्वारा मंच के सम्मुख उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित कर अवगत किया गया कि उपभोक्ता द्वारा पूर्ण बिल का भुगतान कर दिया गया है।
3. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 10 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः बिलिंग चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 987 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 10 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है।UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

क्रमशः..... 02

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 366 / 2023–24 दिनांक– 27/03/2024

श्री गौर सिंह
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी	सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी	सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी	सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री गौर सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318903053 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर के विद्युत बिल दिये जा रहे है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 एवं दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख अपने कार्यालय पत्रांक 883 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी (सदस्य उपभोक्ता) सदस्य–उपभोक्ता उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	सन्तोष डिमरी (सदस्य विधि) सदस्य–विधि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL	भूपेन्द्र सिंह कनेरी (सदस्य तकनीकि) सदस्य–तकनीकि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः– 246429

वाद संख्या 364/2023–24 दिनांक– 27/03/2024

श्री कुन्दन सिंह
ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़
जिला–चमोली। – परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़। – विपक्षी

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री कुन्दन सिंह, ग्रा0–बूंगा, पो0–गेरूड़, संयोजन सं0–NB 21318800068 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा एक ही नाम के दो विद्युत बिल दिये जा रहे है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता के दोनों संयोजनों की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की। दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने अपने कार्यालय पत्रांक 881 दिनांक 29. 02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य–उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य–विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य–तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोडः— 246429

वाद संख्या 363 / 2023—24 दिनांक— 27/03/2024

श्री विक्रम सिंह — परिवादी
ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़
जिला—चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री विक्रम सिंह, ग्रा0—बूंगा, पो0—गेरूड़, संयोजन सं0—NB 21318903056 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा बिना मीटर के विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री / तथ्य / विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच से उक्त उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए एक अगली सुनवाई तिथि की मांग की। दिनांक 01.03.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने अपने कार्यालय पत्रांक 880 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा मंच को अवगत किया कि उक्त उपभोक्ता की शिकायत का निवारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कर दिया गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा दिया गया सहमति पत्र भी मंच के सम्मुख प्रेषित किया गया।

आदेश

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य—उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य—विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य—तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कर्णप्रयाग(भट्टनगर,गौचर)

उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 कर्णप्रयाग,

Email:- cgrfupcl@gmail.com पिन कोड:- 246429

वाद संख्या 362/2023-24 दिनांक- 27/03/2024

श्री दयाल सिंह — परिवादी
ग्रा0-बूंगा, पो0-गेरूड़
जिला-चमोली।

बनाम

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड, — विपक्षी
नारायणबगड़।

कोरम

श्री शशि भूषण मैठाणी — सदस्य उपभोक्ता
श्री भूपेन्द्र सिंह कनेरी — सदस्य तकनीकि
श्री सन्तोष डिमरी — सदस्य विधि

निर्णय

1. परिवाद अधिक विद्युत बिल के सन्दर्भ में है। श्री दयाल सिंह, ग्रा0-बूंगा, पो0-गेरूड़, संयोजन सं0-NB 21318701472 वि0वि0खण्ड नारायणबगड़ ने पत्र दिनांक 29.01.2024 के माध्यम से विद्युत शिकायत निवारण मंच को अवगत किया कि प्रार्थी को विभाग द्वारा उसकी विद्युत आपूर्ति से बहुत अधिक विद्युत बिल दिया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा मंच से उचित न्याय की मांग की गई है।
2. परिवादी की शिकायत निवारण हेतु मंच ने पत्रांक 929 दिनांक 02.02.2024 द्वारा विभाग से एक सप्ताह के अन्तर्गत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध में कन्ज्यूमर हिस्ट्री/तथ्य/विवरण प्रेषित करने का निर्देश दिया, जो कि विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। मंच के सम्मुख दिनांक 21.02.2024 की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुए, विभाग की ओर से उपस्थित श्री अतुल कुमार उपखण्ड अधिकारी, वि0वि0 उपखण्ड थराली ने मंच के सम्मुख उक्त उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री प्रेषित की।
3. मंच द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित है कि उपभोक्ता का स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट है, तथा उपभोक्ता के पिछले छः चक्रों (एक साल) की औसत विद्युत खपत 71 kwh यूनिट है, जो कि उपभोक्ता के स्वीकृत विद्युत भार 1 किलोवाट की तुलना में तकनीकि दृष्टि से अधिक नहीं है। मंच उपभोक्ता के परिवाद से सहमत नहीं है, एवं शिकायत बलहीन होने के कारण निरस्त करने योग्य है। UERC(The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) 2020 के विनियम 5.1.3(4) में यह विदित है कि उपभोक्ता अपने मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति पर विभाग द्वारा निर्धारित चैक मीटर का शुल्क भुगतान कर विभाग द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है, मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर की परिशुद्धता जॉचने के लिए दिए गये शुल्क को विद्युत बिल में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। विनियम 5.1.3(10)(a) एवं (b) में यह भी उल्लेखित है कि परीक्षण के बाद मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विभाग उपभोक्ता की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर विद्युत बिलों में सुधार करेगा एवं मीटर प्रतिस्थापन/सुधार भी करेगा।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद बलहीन होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बुड्समैन, 80 बसन्त बिहार, देहरादून मे अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

शशि भूषण मैठाणी
(सदस्य उपभोक्ता)
सदस्य-उपभोक्ता
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

सन्तोष डिमरी
(सदस्य विधि)
सदस्य-विधि
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL

भूपेन्द्र सिंह कनेरी
(सदस्य तकनीकि)
सदस्य-तकनीकि
उपभोक्ता शिकायत निवारण
कर्णप्रयाग (मण्डल) UPCL